

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-170/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० दिव्या भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोखुला, पारु, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रथम प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-01.10.2025 से 05.04.2026 तक को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-01.10.2025 से 29.03.2026 तक	-	कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-30.03.2026 से 05.04.2026 तक	-	कुल-07(सात) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-170/2025- 1319(2) पटना, दिनांक 15/6 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारु, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० दिव्या भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोखुला, पारु, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wamankrista

सरकार के उप सचिव।

६